अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) / मुख्य विकास अधिकारी महोदय

अवगत कराना है कि भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत जनपद मीरजापुर के समस्त ग्रामीण परिवारों को सुचारू, नियमित एवं पर्याप्त प्रेशर के साथ जलापूर्ति सुनिश्चित कराने, माननीय आयुक्त महोदय, विन्ध्याचल मण्डल द्वारा मण्डलीय समीक्षा बैठक (दिनांक 28.10.2026) में सड़क पुनर्निर्माण (Road Restoration) कार्यों में पाई गई कमियों/विलंब पर व्यक्त की गई अत्यधिक अप्रसन्नता का त्वरित संज्ञान लेने, मार्ग चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों के पुनरुद्धार, के सम्बन्ध में जल निगम (ग्रामीण) विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD), जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा समस्त कार्यदायी संस्थाओं, TPI एवं PMC के प्रतिनिधियों के साथ महोदय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आहूत की गयी थी।

उक्त समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियंता (जल निगम) द्वारा पूरी जल आपूर्ति परियोजना का विस्तृत ब्योरा (कुल जल टैप कनेक्शन, इनटेक वेल, WTP, OHT, CWR तथा जल सोत्र से पानी की उपलब्धता) प्रस्तुत किया गया। बैठक में टेल-पॉइंट्स पर बूस्टर पंप की स्थापना हेतु संबंधित उप-जिलाधिकारी (SDM) से समन्वय कर तत्काल भूमि चिह्नित व आवंटित कराने, मार्ग चौड़ीकरण के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त न हो इसके लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) व जल निगम के मध्य पूर्व सूचना साझा कर समन्वय बनाने, पीएमसी (PMC) के अनुरोध पर DPRO व ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के साथ वीसी (VC) आयोजित कर 'जल साथी ऐप' (Jal Sathi App) का शत-प्रतिशत आच्छादन कराने, तथा जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी व DPRO के माध्यम से 1 सप्ताह के भीतर ब्लॉकवार व पंचायतवार (वास्तविक कनेक्शन, जलापूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन) की सटीक ग्राउंड रिपोर्ट प्रस्तुत कराने हेतु कड़े दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में विस्तृत कार्यवृत्त पत्र तैयार कर पार्श्व में प्रस्तुत है।

कृपया अवलोकनोपरान्त सहमति की दशा में पार्श्व में प्रस्तुत कार्यवृत्त पत्र पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

06/11/26

अधिशासी अभियंता
जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर

मुख्य विकास अधिकारी
मीरजापुर

भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन

के तहत जनपद मीरजापुर में समस्त ग्रामीण परिवारों को नियमित एवं निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित कराने, माननीय आयुक्त महोदय विन्ध्याचल मण्डल द्वारा मण्डलीय समीक्षा बैठक (दिनांक 28.1 0.2026) में सड़क पुनर्निर्माण (Road Restoration) कार्यों में पाई गई कमियों/विलंब पर व्यक्त की गई अत्यधिक अप्रसन्नता का त्वरित संज्ञान लेने, मार्ग चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों के पुनरुद्धार, बूस्टर पंपों हेतु भूमि आवंटन, 'जल साथी ऐप' के शत-प्रतिशत आच्छादन तथा संबंधित कार्यदायी संस्थाओं एवं विभागों के समन्वय से कार्यों की भौतिक प्रगति की समीक्षा हेतु

<u>मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मीरजापुर की अध्यक्षता में आहूत समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।</u>

अध्यक्षता : मुख्य विकास अधिकारी (CDO), मीरजापुर।
तिथि : 02.1 1 .2026
समय : सायं 05:00 बजे
स्थान : सभागार, विकास भवन, मीरजापुर।
उपस्थिति :
1 . अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
2. सहायक अभियन्ता (AE), लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड (P.D.), मीरजापुर।
3. सहायक अभियन्ता (AE), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
4. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मीरजापुर।
5. समस्त परियोजना प्रबन्धक (Project Managers), जीवन मिशन प्रोजेक्ट, मीरजापुर।
6. टीम लीडर एवं प्रतिनिधि, थर्ड पार्टी संस्था (TPI), मीरजापुर।
7. टीम लीडर एवं प्रतिनिधि, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंसी (PMC, थीम इंजीनियरिंग), मीरजापुर ।

जनपद मीरजापुर के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन की प्रगति की गहन समीक्षा करने, निर्माण कार्यों में आ रही अंतर-विभागीय बाधाओं को दूर करने तथा जन-सामान्य को सुचारू एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी (मुख्य विकास अधिकारी) की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के मुख्य विचारणीय बिंदु (Agenda) निम्नवत हैं:

1 . मण्डलीय समीक्षा का **अनुपालन एवं रोड रेस्टोरेशन**: दिनांक 28.1 0.2026 को माननीय आयुक्त महोदय, विन्ध्याचल मण्डल द्वारा रोड रेस्टोरेशन के कार्यों में खराब स्थिति पर अत्यधिक अप्रसन्नता एवं नाराजगी व्यक्त की गई थी, जिसके क्रम में धरातल पर तत्काल सुधार लाने हेतु समीक्षा।

2. परियोजना का **भौतिक प्रगति एवं जलापूर्ति**: इनटेक वेल, WTP, CWR, OHT तथा जल सोत्र से जल की वास्तविक उपलब्धतता एवं FHTC कनेक्शनों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा।

3. बूस्टर पंप हेतु **भूमि आवंटन**: अंतिम छोर (Tail-points) एवं भौगोलिक रूप से कठिन गांवों में पर्याप्त वाटर प्रेशर हेतु आवश्यक बूस्टर पंपों के लिए SDM/तहसील स्तर से भूमि चिह्नित एवं आवंटित कराना।

4. मार्ग चौड़ीकरण (Road Widening) **में PWD-जल निगम समन्वय**: लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क चौड़ीकरण/कटिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो रही पाइपलाइनों की सुरक्षा तथा आपस में पूर्व सूचना साझा कर कार्य करने हेतु निर्देश।

5. 'जल साथी ऐप' (Jal Sathi App) **का आच्छादन**: पीएमसी (PMC) के अनुरोध पर DPRO एवं समस्त ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के साथ वीसी (VC) के माध्यम से 'जल साथी ऐप' का शत-प्रतिशत डाउनलोड एवं संचालन सुनिश्चित कराना।

6. ब्लॉकवार डेटा संकलन एवं रिपोर्टिंग: ग्राम पंचायत स्तर से वास्तविक कनेक्शन, जलापूर्ति एवं रोड रेस्टोरेशन की स्थिति की रिपोर्ट 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने हेतु जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी व DPRO को निर्देश।

बैठक की विस्तृत कार्यवाही एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत बिंदुवार निर्देश :-

1.आयुक्त मण्डल महोदय की नाराजगी एवं रोड रेस्टोरेशन में सुधार के निर्देश:
समीक्षा के प्रारंभ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्ट किया गया कि दिनांक 28.1 0.2026 को मण्डलीय समीक्षा बैठक के दौरान माननीय आयुक्त महोदय, विन्ध्याचल मण्डल द्वारा सड़क पुनर्निर्माण (Road Restoration) के कार्यों में पाई गई कमियों, अत्यधिक विलंब एवं सड़कों की बदहाली पर अत्यधिक अप्रसन्नता व कड़ा असंतोष व्यक्त किया गया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल निगम के अधिकारियों एवं समस्त कार्यदायी संस्थाओं को सख्त हिदायत दी गई कि आयुक्त महोदय की नाराजगी को अत्यंत गंभीरता से लिया जाए। जिस भी क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने हेतु खुदाई की गई है, वहाँ तत्काल मानक के अनुरूप पक्की सड़क का पुनर्निर्माण (Road Restoration) कार्य पूर्ण कराया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की हीलाहवाली या घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग पाए जाने पर संबंधित एजेंसी व जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

2. परियोजना की भौतिक प्रगति एवं जल उपलब्धता की समीक्षा:
बैठक के दौरान अधिशासी अभियंता (जल निगम) द्वारा पूरी परियोजना का संक्षिप्त ब्योरा प्रस्तुत किया गया, जिसमें जनपद में स्थापित/निर्माणाधीन इनटेक वेल (Intake Wells), वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP), क्लियर वाटर रिजर्वायर (CWR) एवं ओवरहेड टैंक (OHT) का विवरण दिया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल सोत्र से पानी की वास्तविक उपलब्धता, जलापूर्ति की निरंतरता तथा अब तक स्थापित किए गए घरेलू नल कनेक्शनों (FHTC) की बिंदुवार समीक्षा की गई और निर्देश दिया गया कि केवल कागजी आंकड़े प्रस्तुत न किए जाएं, बल्कि धरातल पर प्रत्येक घर को पर्याप्त प्रेशर के साथ नियमित शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए। एवं समस्त जल सोत्रों पर पेयजल की सुविधा हेतु पर्याप्त मात्रा मे जल की उपलधता बनाए रखने हेतु सिचाई विभाग से निरंतर रूप से समन्वय बनाए रखना सुनिच्छित करे।

3. बूस्टर पंप हेतु भूमि आवंटन (SDM समन्वय):
समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि कुछ दूरस्थ एवं ऊंचाई वाले गांवों/टेल-पॉइंट्स (Tail-points) पर पानी का प्रेशर कम मिलने के कारण जलापूर्ति बाधित हो रही है, जहाँ बूस्टर पंप स्थापित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियंता (जल निगम) को सख्त निर्देश दिए गए कि वे संबंधित उप-जिलाधिकारी (SDM), तहसीलदार एवं क्षेत्रीय लेखपालों से तत्काल व्यक्तिगत रूप से समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता के आधार पर बूस्टर पंप हेतु भूमि चिह्नित एवं आवंटित कराना सुनिश्चित करें। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि भूमि आवंटन प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर कोई जटिलता उत्पन्न होती है, तो अधिशासी अभियंता सीधे अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर वार्ता कराएं ताकि प्रकरण का तत्काल प्रशासनिक निस्तारण कराया जा सके।

4. लोक निर्माण विभाग (PWD) के साथ समन्वय एवं पाइपलाइन सुरक्षा:
समीक्षा के दौरान मार्ग चौड़ीकरण (Road Widening) के कारण मुख्य पाइपलाइनों के बार-बार क्षतिग्रस्त होने तथा पेयजल आपूर्ति बाधित होने की गंभीर समस्या पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड) को कड़ा निर्देश दिया गया कि PWD एवं जल निगम के क्षेत्रीय अभियंता (JE/AE) आपस में निरंतर सूचनाएं साझा करें। सड़क चौड़ीकरण या अर्थवर्क प्रारंभ करने से पूर्व जल निगम को सूचित किया जाए, ताकि पाइपलाइनों को सुरक्षित गहराई में शिफ्ट किया जा सके। तदक्रम मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया की बिना समन्वय के कार्य करने से सरकारी संपत्ति एवं पाइपलाइन का नुकसान न हो, अन्यथा क्षति की भरपाई संबंधित कार्यदायी संस्था/विभाग से कराई जाएगी।

5. 'जल साथी ऐप' (Jal Sathi App) डाउनलोड कराने हेतु निर्देश :

वैठक में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंसी (PMC) के प्रतिनिधियों द्वारा जन-सहभागिता एवं अनुश्रवण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 'जल साथी ऐप' (Jal Sathi App) को शत-प्रतिशत डाउनलोड कराने का अनुरोध किया गया। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियंता (जल निगम) को निर्देशित किया गया कि वे जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) के साथ समन्वय स्थापित कर समस्त ग्राम पंचायत सेक्रेटरी , ग्राम प्रधानों एवं फील्ड स्टाफ की तत्काल एक वीसी (Video Conference) / बैठक आयोजित करें तथा प्राथमिक स्तर पर 'जल साथी ऐप' डाउनलोड कराने एवं इसका नियमित उपयोग सुनिश्चित कराने का कार्य पूर्ण कराएं।

6. ब्लॉकवार एवं साथ पंचायतवार डेटा रिपोर्टिंग (1 सप्ताह की समयसीमा)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) को कड़े निर्देश दिए गए कि वे समस्त खंड विकास अधिकारियों (BDO) एवं ग्राम पंचायत स्तर के सचिवों/कर्मचारियों के माध्यम से जनपद के सभी ब्लॉकों का वास्तविक ग्राउंड डेटा संकलित कराएं। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में वास्तविक नल कनेक्शनों की संख्या, निर्बाध पेयजल आपूर्ति की अद्यतन स्थिति और रोड रेस्टोरेशन की धरातली स्थिति की ब्लॉकवार एवं पंचायतवार रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए।

अतः उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि पेयजल एक अत्यंत संवेदनशील तथा जनहित से जुड़ा आवश्यक विषय है। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही या झूठी रिपोर्टिंग पाए जाने पर संबंधित अधिकारी/अभियंता/कार्यदायी संस्था के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में कठोर अनुशासनात्मक व विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

06/11/26

(वी0के0सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
मीरजापुर।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, मीरजापुर।

दिनांक: 07-11-026

पत्रांक- 16596 / 2024-6 / 241
---000---

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. आयुक्त, विंध्याचल मंडल, मीरजापुर।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM), लखनऊ।
4. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), मीरजापुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
6. टीम लीडर, पी०एम०सी० (PMC) / टी०पी०आई० (TPI), मीरजापुर।
7. समस्त परियोजना प्रबंधक, कार्यदायी संस्थाएं (जल जीवन मिशन), मीरजापुर।

06/11/26

मुख्य विकास अधिकारी

मीरजापुर।